संख्या-15/2017/2292/29-6-2017-135सा/15

प्रेषक,

डा0 अशोक चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं रसद विभाग,
उ0प्र0लखनऊ।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 08 नवम्बर, 2017

विषय:-उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदेश, 2016 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदेश, 2016 के प्रस्तर-13(1) में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन आच्छादित कार्यवाही या विषय के सम्बन्ध में इस आदेश के खण्ड-11 के उपखण्ड-(10) में उल्लिखित प्राधिकारी के समक्ष अपील की जायेगी, किन्तु सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित मूल्य की दुकान की **बहाली, निलम्बन और निरस्तीकरण** के विरूद्ध सम्भागीय आयुक्त के समक्ष अपील की जायेगी, जबकि उक्त आदेश के अंग्रेजी वर्जन में**Appoinment, Suspension and Cancellation** शब्द उल्लिखित है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत का संविधान के अनुच्छेद-348(1)(ख)(iii) में यह व्यवस्था है कि इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य की विधान मण्डल द्वारा बनाये गयी किसी विधि के अधीन निकाले गये या बनाये गये सभी आदेशों, नियमों, विनियमों एवं उपविधियों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे। इस प्रकार **Appoinment**का हिन्दी रूपान्तरण **नियुक्ति** होगा। अत: उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदेश, 2016 के प्रस्तर-13(1) मेंAppoinment का हिन्दी रूपान्तरण बहाली के स्थान पर नियुक्ति पढ़ा जाय।

भवदीय,

(डा0 अशोक चन्द्र)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-15/2017(1)/29-6-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,उ0प्र0।

2- समस्त क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक/संयुक्त आयुक्त(खाद्य)/उपायुक्त(खाद्य),उ0प्र0।

3- समस्त जिलापूर्ति अधिकारी/जिला खाद्य विपणन अधिकारी,उ0प्र0।

4- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(ए0पी0त्रिपाठी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।